International Journal of Sociology and Political Science
www.sociologyjournal.in
Online ISSN: 2664-7745, Print ISSN: 2664-7737
Received: 28-07-2023, Accepted: 14-08-2023, Published: 29-08-2023
Volume 5, Issue 2, 2023, Page No. 35-37

भारत और श्रीलंका के सम्बन्ध में प्रवासी भारतीयों की समस्याः एक अध्ययन

सुनीता बघेल
सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, भगवान बिरसा मुंडा शासकीय महाविद्यालय दिव्यगवा, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

सारांश
भारत और श्रीलंका में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध होने पर भी समय–समय पर कुछ घटनाएं घटित होती रही हैं जिससे दोनों देशों के बीच मतभेद उभरकर सामने आये। भारतीय प्रवासियों की समस्या भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद का प्रमुख मसला भारतीय प्रवासियों को लेकर उत्पन्न हुआ। श्रीलंका के अधिकांश प्रवासी भारतीय चाय और रबड़ की खेती पर काम करवाने के लिए लाये गये थे। ये श्रमिक सस्ते थे और इनमें से अधिकांश दक्षिण भारत से ले जाये गये थे। 1948 में श्रीलंका के स्वतन्त्र होने तक यह ब्रिटिश नागरिकों के रूप में समान अधिकारों एवं मताधिकार का लाभ उठाते थे परन्तु शीघ्र ही 1948 के सीलोन नागरिकता अधिनियम एवं सीलोन संसदीय अधिनियम (1949) के द्वारा इन्हें मताधिकार से वंचित कर दिया गया। नागरिकता प्राप्त करने के लिए उन्हें यह प्रमाणित करना पड़ता था कि उनके माता–पिता या वे स्वयं श्रीलंका में जन्मे थे और 1939 से लगातार श्रीलंका में ही निवास कर रहे हैं। इसके पीछे मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण श्रीलंका में आर्थिक दबाव अनुभव होने लगा था और सिंहली लोग चाहते थे कि प्रवासी भारतीय यहां से चले जायें तो उनको रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होने लगें।

मूल शब्दः भारत, श्रीलंका, प्रवासी भारतीय, सम्बन्ध

श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित एक छोटा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 65,610 वर्ग किमी तथा जनसंख्या 1,92,00,000 है। सांस्कृतिक दृष्टि से श्रीलंका भारत के साथ जुड़ा हुआ है। यहां पर रहने वाले भारतीय तमिलनाडु के मूल निवासी हैं। श्रीलंका के अधिकांश निवासी बौद्ध धर्मावलम्बी हैं। हिन्द महासागर में भारत के समीप होने के कारण सैनिक एवं सामरिक दृष्टि से श्रीलंका का भारत के लिए अत्यधिक महत्व है। भारत और श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों का एक लंबा और जटिल इतिहास 2,500 साल पुराना है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के पुत्र महिंदा द्वारा श्रीलंका में बौद्ध धर्म की शुरुआत की गई थी। इससे दोनों देशों के बीच एक मजबूत सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध स्थापित हुआ। 10वीं शताब्दी ई. में दक्षिण भारत के चोल राजवंश ने श्रीलंका पर कई बार विजय प्राप्त की। हालाँकि, चोलों ने कला, वास्तुकला और भाषा को प्रभावित करते हुए श्रीलंका पर एक स्थायी सांस्कृतिक प्रभाव भी छोड़ा।

भारत ने श्रीलंका को अपनी लोकतांत्रिक संस्थाएँ स्थापित करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत और श्रीलंका एक–दूसरे के पड़ोसी देश हैं, किन्तु उनके सम्बन्ध पड़ोसियों के सम्बन्धों से अधिक गहरे हैं। श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप का ही एक अंग है, अतः इसका राजनीतिक महत्व ही नहीं बल्कि औद्योगिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक महत्व भी है। भारत से श्रीलंका की दूरी पाक जलडमरूमध्य पार करके बहुत कम समय में तय की जा सकती है। आधा घण्टे से कम की उड़ान में कोई भी भारत से श्रीलंका पहुंच सकता है अथवा श्रीलंका से भारत आ सकता है। किन्तु वहां पहुंचकर उसे ऐसा नहीं लगता कि वह किसी अन्य देश में पहुंच गया है। दक्षिण भारत की जलवायु एवं संस्कृति की बहुत–सी विशेषताएं वहां पर दिखायी देती हैं। वैसे भी भारत एवं श्रीलंका के सम्बन्ध सदियों पुराने हैं। मौर्य सम्राट अशोक के युग में भी श्रीलंका और भारत के बीच गहरे सम्बन्ध थे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने ही पुत्र को श्रीलंका भेजा था और इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह बौद्ध धर्म की सुदृढ़ नींव श्रीलंका में रखने में सफल हुआ था। आज भी श्रीलंका के अधिकतर लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और वे प्राचीन भारत के ऋषियों के कृत्यों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं।

श्रीलंका भारत से दक्षिण में पाक जलडमरूमध्य से पृथक् होता है। इसके पश्चिम में पाक जलडमरूमध्य एवं मन्नार की खाड़ी है। पूरब एवं उत्तर में बंगाल की खाड़ी एवं दक्षिण में हिन्द महासागर है। दुनिया के इस भू–भाग के अन्य देशों की तरह श्रीलंका भी उपनिवेशीकरण का शिकार हुआ और 150 वर्ष से अधिक समय तक विदेशी शक्तियों के प्रभुत्व में रहा। सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने इस देश पर अपना अधिकार किया, उसके बाद डच लोगों ने, किन्तु कालान्तर में इनका स्थान अंग्रेजों ने ले लिया। अंग्रेजों ने अपनी विश्व–प्रसिद्ध नीति 'फूट डालो और शासन करो' का यहां भी उपयोग किया और वे श्रीलंका की जनसंख्या के दो बड़े समूहों में आपस में वैमनस्य बनाये रखने में सफल रहे। यहां पर बहुमत सिंहली भाषा–भाषियों का है, किन्तु तमिल भाषा–भाषी लोग अल्पमत में होते हुए भी काफी प्रभाव रखते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में श्रीलंका का विशिष्ट महत्व है। हिन्द महासागर में से गुजरने वाले सभी जलमार्गों का यह केन्द्र है। इसी सामरिक स्थिति के कारण अंग्रेज इसे छोड़ना नहीं चाहते थे। भारत और श्रीलंका औपनिवेशिक दासता के एक लम्बे समय तक शिकार रहे। दोनों ही देश लगभग साथ–साथ स्वाधीन हुए। भारत और श्रीलंका को क्रमशः 1947 और 1948 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली। श्रीलंका के राष्ट्रीय स्वाधीनता के आन्दोलन को भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन से प्रेरणा मिली। श्रीलंका की सरकार ने भी भारत सरकार के समान गुटनिरपेक्षता की नीति को स्वीकार किया। भारत की भांति श्रीलंका की नीति अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शान्तिवाद, गुटनिरपेक्षता, सह–अस्तित्व और दूसरे देशों से मित्रतापूर्ण सम्बन्धों की रही। भारत की भांति श्रीलंका भी राष्ट्रमण्डल का सदस्य बना। कोलम्बो योजना के अन्तर्गत, जिसकी रचना 1950 में कोलम्बो में राष्ट्रमण्डलीय प्रधानमन्त्रियों के सम्मेलन में की गयी थी, दोनों देशों ने आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण सहयोग किया है।

श्रीलंका विभिन्न मायनों में भारत के लिए महत्वपूर्ण महत्व रखता है कि हिंद महासागर क्षेत्र में श्रीलंका की स्थिति इसे भारत के सुरक्षा हितों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण केंद्र बनाती है। श्रीलंका भारत की नौसेना के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की ओर जाने और इसके विपरीत नौसेना के बेड़े को श्रीलंका का चक्कर लगाना पड़ता है। भारत श्रीलंका के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से एक है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंध हैं। 2020 में, भारत श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था, जिसका द्विपक्षीय व्यापारिक व्यापार लगभग 3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। श्रीलंका का स्थान इसे भारत की हिंद महासागर रणनीति और हिंद महासागर रिम समुदाय की स्थापना के उद्देश्य के लिए भागीदारों के साथ नेटवर्किंग के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। भारत बंदरगाहों में निवेश के माध्यम से श्रीलंका में चीन की बढ़ती उपस्थिति से भी चिंतित है, जिसका उपयोग संभावित रूप से सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

भारत और श्रीलंका में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध होने पर भी समय–समय पर कुछ घटनाएं घटित होती रही हैं जिससे दोनों देशों के बीच मतभेद उभरकर सामने आये। भारतीय प्रवासियों की समस्या भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद का प्रमुख मसला भारतीय प्रवासियों को लेकर उत्पन्न हुआ। श्रीलंका के अधिकांश भारतीय प्रवासी (लगभग 10 लाख) चाय और रबड़ की खेती पर काम करवाने के लिए लाये गये थे। ये श्रमिक सस्ते थे और इनमें से अधिकांश दक्षिण भारत से ले जाये गये थे। 1948 में श्रीलंका के स्वतन्त्र होने तक यह ब्रिटिश नागरिकों के रूप में समान अधिकारों एवं मताधिकार का लाभ उठाते थे परन्तु शीघ्र ही 1948 के सीलोन नागरिकता अधिनियम एवं सीलोन संसदीय अधिनियम (1949) के द्वारा इन्हें मताधिकार से वंचित कर दिया गया। नागरिकता प्राप्त करने के लिए उन्हें यह प्रमाणित करना पड़ता था कि उनके माता–पिता या वे स्वयं श्रीलंका में जन्मे थे और 1939 से लगातार श्रीलंका में ही निवास कर रहे हैं। इस प्रकार श्रीलंका सरकार का विचार सम्भवतः यह था कि कम–से–कम भारतीयों को श्रीलंका की नागरिकता प्राप्त हो सके। इसके पीछे मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण श्रीलंका में आर्थिक दबाव अनुभव होने लगा था और सिंहली लोग चाहते थे कि प्रवासी भारतीय यहां से चले जायें तो उनको रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होने लगें। प्रवासी भारतीय अपनी क्रमाई का बड़ा भाग भारत भेज देते थे। श्रीलंका के विदेशी विनिमय पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता था। भारतीय प्रवासी वर्षों से श्रीलंका में रहने के बाद भी भारत को ही अपना देश मानते थे। प्रवासी भारतीयों की बड़ी संख्या चुनावों को अत्यधिक प्रभावित करती थी। इसीलिए 1949 के निर्वाचन कानून द्वारा उन्हें मताधिकार से वंचित कर दिया गया।

उपर्युक्त कारणों के बावजूद भी प्रवासी भारतीयों के प्रति श्रीलंका सरकार का व्यवहार आपत्तिजनक और अन्यायपूर्ण था। प्रवासी भारतीय श्रमिकों को, जिनके श्रम से श्रीलंका ने आर्थिक उन्नति की और यूरोपीय पूंजीपतियों के कोष भरे, अब श्रीलंका से बहिष्कृत करने का प्रयास किया जा रहा था। समस्या और भी अधिक गम्भीर तब हो गयी जब श्रीलंका सरकार ने प्लाण्टेशन लेबर एवं विदेशी व्यावसायिक संगठनों का राष्ट्रीयकरण करने की नीति प्रकट की। अशिक्षित भारतीय श्रमिकों के साथ यह अन्याय था अतएव भारत सरकार के लिए हस्तक्षेप करना आवश्यक हो गया। इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने श्रीलंका सरकार से वार्ता प्रारम्भ की। लम्बी वार्ता के परिणामस्वरूप जनवरी 1954 में जान कोटलेवाला नई दिल्ली आये और नेहरू के साथ उनका एक समझौता हुआ जिसे नेहरू–कोटलेवाला समझौता कहते हैं। इसकी शर्तें निम्न प्रकार थीं :

श्रीलंका की सरकार उन सभी भारतीय मूल के लोगों के नाम रजिस्टर करेगी जो श्रीलंका में स्थायी रूप से रहने के इच्छुक हैं।

- जो श्रीलंका की नागरिकता नहीं चाहते, उन्हें भारत वापस भेज दिया जायेगा।
- भारत से श्रीलंका को अवैध अप्रवास सख्तीपूर्वक रोका जायेगा।
- नागरिकता प्राप्त करने के लिए दो वर्षों से जो आवेदन–पत्र पड़े हैं उनका निर्णय सरकार जल्द करेगी।
- भारतीयों के लिए श्रीलंका में एक अलग चुनाव रजिस्टर बनेगा जिसके आधार पर वे निश्चित संख्या में अपने प्रतिनिधि चुनेंगे।
- जिन भारतवासियों को श्रीलंका में नागरिकता नहीं दी जा सकेगी उन्हें विदेशी के रूप में रहने की सुविधा दी जायेगी।

श्रीलंका की सरकार ने इस समझौते का ईमानदारी से पालन नहीं किया, और भारतीय मूल के बहुत सारे व्यक्तियों को नागरिकताविहीन बना दिया। मार्च 1954 में श्रीलंका सरकार ने भारतीय मूल के नागरिकों के निवास आज्ञा पत्रों' (रेजीडेन्स परमिट्स) का नवीनीकरण स्थगित करने की आज्ञा दे दी और इस प्रकार श्रीलंका में वर्षों से बसे हुए नागरिकों को अवैध निवासी बना दिया। यह सब दिल्ली समझौते की भावना के विरुद्ध था। इसके उत्तर में भारत सरकार ने भी जुलाई, 1954 से श्रीलंका से भारत आने के लिए वीसा प्राप्त करना आवश्यक कर दिया। इसके पूर्व वीसा प्राप्त करना आवश्यक नहीं था। भारत सरकार की ओर से भारतीय उच्चायुक्त ने श्रीलंका को चेतावनी दी कि भारत सरकार केवल उन्हीं व्यक्तियों की भारतीय नागरिकों के रूप में स्वीकार करेगी, जिन्होंने स्वेच्छा से इसके लिए आवेदन किया है और ऐसे व्यक्तियों को फिर श्रीलंका के बगीचों एवं अन्य खेतियों पर भी काम करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

राज्यविहीन नागरिकों की स्थिति पर दोनों सरकारों में मूलभूत अन्तर था। श्रीलंका सरकार इन्हें तब तक भारतीय नागरिक कहती थी जब तक यह उन्हें अपना नागरिक न मान ले। भारत सरकार के दृष्टिकोण से केवल वे ही व्यक्ति भारतीय नागरिक थे, जिनके पास सदैव से भारतीय पासपोर्ट अथवा अनुमति पत्र थे और जिन्होंने भारतीय उच्चायुक्त के ऑफिस में अपने को पंजीकृत करा लिया था, शेष व्यक्ति राज्यविहीन थे। इसी प्रकार बड़ी संख्या में राज्यविहीन व्यक्तियों की समस्या उत्पन्न हो गयी। इससे भारत और श्रीलंका के सम्बन्धों में कटुता उत्पन्न हो गयी। 1956 के भाषा विवाद से यह कटुता और बढ़ गयी। श्रीलंका सरकार ने यह आरोप लगाया कि इन दंगों के पीछे भारत का हाथ था। परन्तु भण्डारनायके के प्रधानमन्त्रित्व (1956–59) में भारत और श्रीलंका सम्बन्धों में सुधार हुआ। भण्डारनायके नेहरू के प्रशंसक और मित्र थे, वे गुटनिरपेक्षता की नीति में विश्वास करते थे और भारत को श्रीलंका का एक बड़ा मित्र–राष्ट्र मानते थे। उनकी हत्या के बाद श्रीमती भण्डारनायके (1960–77) के कार्यकाल में भी भारत–श्रीलंका सम्बन्ध मधुर रहे। इसी कारण अक्टूबर 1964 में भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्री और श्रीमती भण्डारनायके के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें निम्न बातें मुख्य थीं :

1. श्रीलंका में रह रहे वे सभी भारतीय नागरिक जो अभी तक किसी भी देश के नागरिक नहीं हैं ये भारत या श्रीलंका में से किसी भी देश की नागरिकता अपनायें।

2. यह अनुमान था कि श्रीलंका में ऐसे 9,75,000 व्यक्ति हैं जो राष्ट्रीयताविहीन हैं। समझौते के अनुसार यह तय किया गया कि इनमें से 5,25,000 व्यक्तियों को भारत और 3,00,000 व्यक्तियों को श्रीलंका अपनी नागरिकता प्रदान करे और 1,50,000 व्यक्तियों की नागरिकता की समस्या को एक अन्य समझौतों द्वारा सुलझा दिया जायेगा।
3. आने वाले 15 वर्षों में यह कार्य पूरा कर लिया जाये।
4. भारत आने वाले प्रवासियों को वे सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी जो किसी भी अन्य विदेशी को प्राप्त होती हैं, लेकिन उन्हें विदेशों में धन भेजने की सुविधा नहीं होगी। 5. भारतीय अपनी कमाई हुई पूंजी को भारत ले जा सकेंगे लेकिन उसकी सीमा चार हजार से कम नहीं होनी चाहिए।

इस समझौते में एक कमी यह रह गयी कि 1,50,000 राष्ट्रीयताविहीन व्यक्तियों की नागरिकता का सन्तोषपूर्ण फैसला नहीं हो पाया। लेकिन जनवरी 1974 में जब श्रीलंका की प्रधानमन्त्री श्रीमती भण्डारनायके भारत आयीं तो शेष 1,50,000 राष्ट्रीयताविहीन व्यक्तियों की नागरिकता का भी फैसला हो गया। एक समझौते के अनुसार दोनों देशों ने आधे–आधे यानी 75–75 हजार व्यक्तियों को अपनी–अपनी नागरिकता देना स्वीकार कर लिया।

कच्छदीद टापू का मसला– भारत–श्रीलंका के बीच दूसरा मसला कच्छदीव से सम्बन्धित रहा है। कच्छदीव भारत और श्रीलंका के समुद्री तटों के बीच 200 एकड़ का एक छोटा–सा द्वीप है जिसमें नागफनी के अतिरिक्त और कुछ नहीं उगता। यहां आबादी नहीं के बराबर है और आस–पास मछुआरे मछली जरूर पकड़ते हैं। दोनों देश इस भूखण्ड पर अपना आधिपत्य जताते थे। विवाद इसलिए और भी बढ़ गया क्योंकि इस द्वीप के आस–पास तेल के काफी बड़े भण्डार होने की आशा की जाती थी। भारत ने एक महान् पड़ोसी देश की परम्परा का निर्वाह करते हुए इस छोटे से द्वीप के कारण दोनों देशों के बीच विवाद को लम्बा खींचना उपयुक्त नहीं समझा। 28 जून, 1974 को दोनों देशों में एक समझौता हुआ जिसके अनुसार कच्छदीव टापू पर भारत ने श्रीलंका की प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लिया।

भारत–श्रीलंका सम्बन्धों को भारतीय तमिलों की नागरिकता की समस्या ने सर्वाधिक प्रभावित किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही श्रीलंका सरकार ने तमिलों की नागरिकता समाप्त कर दी थी जो ब्रिटिश शासन काल में बगान के श्रमिक के रूप में श्रीलंका गये थे तथा वहीं के निवासी के रूप में रह रहे थे। श्रीलंका मे भारतीय मूल के व्यक्तियों के अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह लगने के कारण भारतीय जनमानस ने श्रीलंका की इस प्रकार की नीतियों का विरोध किया तथा भारत सरकार पर दबाव डाला कि वह श्रीलंका मे बसे भारतीय मूल के व्यक्तियों के अस्तित्व की रक्षा के लिए प्रयास करें। भारत सरकार ने भारतीय जनता की भावनाओं के अनुरूप श्रीलंका मे बसे भारतीय मूल के व्यक्तियों की समस्या समाधान हेतु, स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही प्रयास प्रारम्भ कर दिया थे। भारत सरकार के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप श्रीलंका में बसे भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता के सन्दर्भ मे भारत एवं श्रीलंका के बीच समय–समय पर अनेक समझौते सम्पन्न हो चुके हैं। भारत एवं श्रीलंका के बीच हुये इन समझौतों के कारण नागरिकता की समस्या का समाधान करने मे ं दोनों देशों को काफी कुछ सीमा तक सफलता मिली है, लेकिन फिर भी इस समस्या का पूर्णरूप से समाधान सम्भव नहीं हो सका है तथा आज भी नागरिकता की समस्या भारत–श्रीलंका समबन्धों में अपना अस्तित्व बनाये हुये है।

अन्ततः यह कहा जा सकता है कि श्रीलंका धीरे–धीरे ही सही इस जातीय समस्या के समाधान की ओर अग्रसर है और हमें इसके प्रति निराश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है। श्रीलंका सरकार और दुनिया को यह संकेत दिया कि वे शान्तिपूर्ण राजनैतिक समाधान तलाशने को तैयार हैं।

सन्दर्भ सुची

1. https://testbook.com/question-answer/hn/sri-lanka-is-situated-off-the-southeast-coast-of-i--5d6f6663fdb8bb447906c29d
2. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Sri_Lanka_Jan_***2015***_hi.pdf
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Indo-Sri_Lanka_Accord
4. https://www.drishtiias.com/hindi/loksabha-rajyasabha-discussions/perspective-india-sri-lanka-relations
5. chrome extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.jetir.org/papers/JETIR1701197.pdf
6. पंत, पुष्पेश, जैन, श्रीपाल, (2000), 'भारतीय विदेश नीति : नये आयाम', मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, 2000
7. जैन, बी० एम० (1995), 'प्रमुख देशों की विदेश नीतियां', राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, प्रथम संस्करण।
8. खन्ना वी. एन. भारत की विदेश नीति, विकास पब्लिशिंग हाऊस, नोएडा